

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर..... 198/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/श्रीमती <u>गणेशीबाई</u></p> <p>पत्नी श्री <u>उत्तराज जी डागी</u></p> <p>निवासी- <u>माचरा बोरडी (13)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>माताजीकी बोरडी (पन्ह. अरनिपापव)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>737, 738, 739, 746</u> <u>0-09 0-31</u></p> <p>कुल कीता कुल रकबा है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>माताजीकी बोरडी (पन्ह. अरनिपापव)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>737, 738, 739, 746</u> <u>0-09 0-31 0-31 0-06</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>0-7700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>प्राप्त हो</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>RP</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>